



विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज-२, गोमती नगर
लखनऊ-२२६०१०
CIN : U32201UP1999SGCO24928

(विज्ञापन सं० ०४/VSA/2022/LE)

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत लेखा संवर्ग के निम्नलिखित सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर साक्षात्कार द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:

क्रम सं०	पदनाम	अनारक्षित	ई०डब्ल० एस०	अन्य पिछड़ा वर्ग (नान कीमीलेयर)	अनु० जाति	अनु० जन जाति
1	उप महाप्रबन्धक (लेखा) (DEPUTY GENERAL MANAGER) (ACCOUNTS)	03	00	00	00	00
2	उपमुख्य लेखाधिकारी (DEPUTY CHIEF ACCOUNTS OFFICER)	02	01	00	00	00

- ❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- ❖ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- ❖ उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अहं नहीं है।

1. उप महाप्रबन्धक (लेखा) पद हेतु:-

(क) **वेतनमानः**-सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतनमान रु० 1,31,100-2,16,600 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होंगे।

(ख) **अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें**:- आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।

(1) देवनागरी लिपि में हिन्दी का समुचित सम्यक ज्ञान।

(2) सी०ए०/सी०ए०म०ए० (आई०सी०डब्ल०ए०)/एम०बी०ए० (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।

(3) **अनुभव**-सरकारी/सरकार के उपकम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 15 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रु० 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।

(4) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नयी नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जायेंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।

(ग) **आयु** : दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम 50 वर्ष।



2. उपमुख्य लेखाधिकारी पद हेतु:-

(क) वेतनमानः— सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में वेतनमान रु0 1,23,100—2,15,900 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होंगे।

(ख) अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायेः— आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।

(1) देवनागरी लिपि में हिन्दी का समुचित सम्यक ज्ञान।

(2) सी०ए०/सी०ए० (आई०सी०डब्ल०ए०) /एम०बी०ए० (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी।

(3) अनुभव—सरकारी/सरकार के उपकम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 11 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रु0 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न—ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।

(4) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगे परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नयी नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जायेंगे, परन्तु केवल ग्रेचुटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।

(ग) आयु : दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम 46 वर्ष।

3. आरक्षण :-

(क) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।

(ख) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

नोट—नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

4. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ज़: आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ज़ अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1180/- प्रति आवेदन
2.	अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1180/- प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ज़ नेट बैंकिंग/यू०पी०आई०/वालेट के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्ज़ज़ अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। आवेदन शुल्क प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ज़ के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही रथानान्तरित अथवा किसी अग्रिम ययन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

5. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अस्थायी रूप से (provisionally) समिलित किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र साक्षात्कार में समिलित होने से चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ साक्षात्कार के समय जमा करायी जायेगी। साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. अनापत्ति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।



- 7. चरित्र :** अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 8. वैवाहिक स्थिति :** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विधि—विरुद्ध एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, व्यवहार हेतु अहं नहीं होंगे।
- 9. चयन प्रक्रिया:** उपरोक्त दोनों पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अहंताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।
- 10. आवेदन कैसे करें:** कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब “APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. ‘04/VSA/2022/LE’ FOR THE POST OF DEPUTY GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/DEPUTY CHIEF ACCOUNTS OFFICER पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भृति समझें। एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल निर्गत होने तक सजीव रखें।
एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने के लिये पृथक आवेदन किये जाने होंगे।
- 11. प्रवेश पत्र :** साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र की सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई-मेल एवं SMS पर प्रेषित की जायेंगी। बुलावा पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
- 12. अन्य विशेष सूचना :**
 - (1) अनिवार्य अहंता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (2) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अहं नहीं है।
 - (3) सभी प्रासंगिक अहंताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (निर्धारित संलग्न प्रपत्र में) की मूल प्रतियाँ तथा एक-एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (4) अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अहंता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है।
 - (5) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु ई-मेल helpdesk.le4@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।
- 13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।**
- 14. महत्वपूर्ण तिथियाँ :**

क्रमांक	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	04-04-2022 से 25-04-2022
2	नेट बैंकिंग/यू०पी०आई०/वालेट/इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ—	04-04-2022 से 25-04-2022

सचिव

पत्रांक: 751 / विसेआ / 04/VSA/2022/LE

दिनांक: 22/03/2022

